(135)

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प इन्दौर

निगरानी प्र.क्र.   / 2017

जी.एच.व्ही. कंपनी प्रा.लि. P 1217 - PB 2-17

पता – 1, 8 महल इण्डस्ट्रीयल स्टेट,

ऑफिस महाकाली कवस रोड, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई

तर्फे अधिकृत प्रोजेक्ट मैनेजर

नियाज मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद

आयु – 45 वर्ष,

निवासी – सी–27, कुम्बा नगर, चित्तौड़गढ (राज.)

हालमुकाम – पलसूद

... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. **म.प्र. शासन तर्फे**

   राजस्व निरीक्षक

   पटवारी हल्का नंबर 8,

   ग्राम बारोली, वृत्त राजपुर जिला बडवानी

2. **म.प्र. शासन तर्फे**

   तहसीलदार महोदय,

   तहसील कार्यालय राजपुर जिला बडवानी

3. **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**

   कार्यालय राजपुर जिला बडवानी

... रेस्पोडेण्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता तर्फे निवेदन है कि :–

यह कि, सदर निगरानी श्रीमान कलेक्टर महोदय, बडवानी के अपील प्रकरण क्रमांक 03/अपील/अ-07/ 2016–17 (जी.एच.वी. कंपनी प्रा.लि. विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित अंतरित स्थगन आवेदनपत्र पर पारित आदेश दिनांक 06/04/2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा प्रार्थी का अंतरिम स्थगन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1217—पीबीआर/2017 जिला बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/4/17	आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को को विचार किया गया । कलेक्टर जिला बडवानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6—4—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर जिला बडवानी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदकगण की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित नहीं किया गया तो उसे अपरिमित क्षति उठानी पड़ेगी, आवेदक का स्थगन आवेदक पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	